वित्त निर्देश 25/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 815/461/वि/नि/चार/2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/10/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः—निगम/मंडल/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को सुविधाएँ।

संदर्भः—वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 266/227/वि/नि/चार/2002, दिनांक 27.5.2002

—0—

राज्य शासन के संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि विभिन्न निगम/मंडल/उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाएँ इत्यादि अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे सुविधाओं के अनुरूप ही प्रदाय करें, तथा राज्य शासन की अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं न दें। यदि शासन की सहमति के बिना सुविधायें दी जा रही हो तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाये।

2/ शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि कतिपय संस्थाएं स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी उक्त अनुदेशों का पालन नहीं कर रही है तथा अपने कर्मचारियों को बोनस जैसी सुविधा प्रदान की जा रही है।

3/ अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम/मंडल/उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं में बोनस भुगतान की समीक्षा करें तथा शासन की सहमति के बिना उपलब्ध कराये जा रहे उक्त सुविधा को तत्काल प्रभाव से रोक लगायें। साथ ही समीक्षा के परिणाम को यथाशीघ्र वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग